भारत सरकार

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 790

उत्तर देने की तारीख : 04.02.2026

देश में विभिन्न अल्पसंख्यक विकास योजनाओं की स्थिति

790. श्री मनोज कुमार:

क्या **अल्पसंख्यक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले पांच वर्षों में प्रत्येक वर्ष और वर्तमान वर्ष के दौरान अल्पसंख्यक विकास के लिए विभिन्न योजनाओं के तहत आवंटित और उपयोग की गई धनराशि का योजना, केंद्र/राज्य अंश निधि, राज्य/संघ राज्यक्षेत्र, जिला और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या अल्पसंख्यक विकास योजनाएं विशेषकर पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति और प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति केन्द्र सरकार तथा बिहार और अन्य राज्य सरकारों द्वारा पूर्णतः कार्यान्वित नहीं की जा रही हैं और यदि हाँ, तो इसके कारण क्या हैं; और

(ग) ऐसी योजनाओं के दिशानिर्देशों के कड़ाई से कार्यान्वियन और विभिन्न विकास योजनाओं के बारे में अल्पसंख्यक समुदाय के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए/उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है?

<u>उत्तर</u>

अल्पसंख्यक कार्य मंत्री
(श्री किरेन रीजीजू)

(क) से (ग): सरकार अल्पसंख्यकों सहित समाज के सभी वर्गों, विशेषकर आर्थिक रूप से कमजोर तथा वंचित वर्गों के कल्याण एवं उत्थान के लिए विभिन्न योजनाएं लागू करती है। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय केंद्रीय रूप से अधिसूचित छह (6) अल्पसंख्यक समुदायों — बौद्ध, ईसाई, जैन, मुस्लिम, पारसी और सिख के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक सशक्तीकरण हेतु विशेष रूप से निम्नलिखित योजनाएँ लागू करता है:

(i) छात्रवृत्ति योजनाएँ:

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने केंद्रीय रूप से अधिसूचित छह (6) अल्पसंख्यक समुदायों के शैक्षिक सशक्तीकरण के लिए तीन छात्रवृत्ति योजनाएँ लागू की हैं:

i. मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति योजना;
ii. मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना; तथा

iii. मेरिट-सह-साधन आधारित छात्रवृत्ति योजना

इन योजनाओं का उद्देश्य धार्मिक अल्पसंख्यक समुदायों के गरीब और मेधावी छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है ताकि वे व्यावसायिक और तकनीकी पाठ्यक्रमों में शिक्षा प्राप्त करने में सक्षम हो सकें। हालांकि, छात्रवृत्ति योजनाओं को वर्ष 2021-22 के बाद कार्यान्वयन के लिए स्वीकृति नहीं मिली है।

छात्रवृत्ति योजनाओं के अलावा, इस मंत्रालय ने पढ़ो परदेश योजना लागू की, जिसके तहत अल्पसंख्यक छात्रों को शैक्षणिक ऋण पर ब्याज सब्सिडी दी जाती थी, ताकि वे विदेश में स्नातकोत्तर, एम.फिल. और पीएच.डी. स्तर के अनुमोदित पाठ्यक्रमों में शिक्षा प्राप्त कर सकें। यह योजना वित्त वर्ष 2022-23 से बंद कर दी गई है, क्योंकि अब शिक्षा ऋण, अन्य सरकारी व्यवस्थाओं के माध्यम से कम ब्याज दर पर उपलब्ध है।

पिछले पांच वर्षों में इन योजनाओं के तहत लाभार्थियों की संख्या और जारी धनराशि का वर्ष-वार विवरण **अनुबंध-I** में दिया गया है।

(ii) प्रधान मंत्री जन विकास कार्यक्रम (पीएमजेवीके):

प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (पीएमजेवीके), एक केंद्र प्रायोजित योजना है, जो देश के अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में स्वास्थ्य, कौशल विकास, शिक्षा, महिला केंद्रित परियोजनाएं, पेयजल और स्वच्छता, खेल, नवीकरणीय ऊर्जा, पर्यटन, पशुपालन और अन्य सामुदायिक बुनियादी ढांचे जैसे क्षेत्रों में सामुदायिक बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के प्रमुख कार्यक्रमों में से एक है।

पीएमजेवीके एक सामुदायिक बुनियादी विकास योजना है, अतएव विकसित बुनियादी ढांचा संबंधित अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों की पूरी आबादी के लाभ के लिए है। पीएमजेवीके एक मांग आधारित योजना है और इसके तहत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार धन का आवंटन नहीं किया जाता है। हालांकि, पीएमजेवीके के तहत पिछले पांच वर्षों और चालू वर्ष के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी की गई धनराशि का वर्ष-वार विवरण **अनुबंध-II** में दिया गया है।

(iii) प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन (पीएम विकास)

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने कौशल विकास, अल्पसंख्यक महिलाओं के बीच उद्यमिता विकास और देश भर में स्कूल ड्रापआउट छात्रों के लिए शिक्षा सहायता के माध्यम से छह अधिसूचित अल्पसंख्यकों के सामाजिक-आर्थिक सशक्तीकरण पर ध्यान केंद्रित करते हुए केंद्रीय क्षेत्र की योजना के रूप में प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन (पीएम विकास) योजना लागू की है। इस योजना के तहत, परियोजनाओं को अखिल भारतीय स्तर पर कार्यान्वित किया जाता है और इसलिए, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को कोई धन आवंटित नहीं किया जाता है। बजटीय आवंटन का वर्षवार विवरण इस प्रकार है:

योजना	2020-21		2021-22		2022-23		2023-24		2024-25		2025-26	
	आरई	एई	आरई	एई	आरई	एई	आरई	एई	आरई	एई	आरई	एई*
सीखो और कमाओ	190	190.03	250.00	268.48	100.00	65.28	-	-	-	-	-	-
उस्ताद	60	56.74	47.00	76.68	47.00	10.61	-	-	-	-	-	-
नई मंजिल	60	59.84	47.00	48.86	20.00	7.62	-	-	-	-	-	-
नई रोशनी	6	6.00	2.50	2.99	2.00	0.62	-	-	-	-	-	-
पीएम विकास							325.86	209.42	230.00	209.43	312.10	128.14
कुल	**316**	**312.61**	**346.50**	**397.01**	**169.00**	**84.13**	**325.86**	**209.42**	**230.00**	**209.43**	**312.10**	**128.14**

आरई- संशोधित अनुमान चरण पर बजट आबंटन; एई- वास्तविक व्यय

*दिनांक 28.01.2026 तक वास्तविक व्यय

प्रधान मंत्री विरासत का संवर्धन (PM VIKAS) योजना का क्रियान्वयन हाल ही में प्रारंभ किया गया है जिसके अंतर्गत, लाभार्थियों के प्रशिक्षण सहित परियोजनाओं का कार्यान्वियन हाल ही में शुरू हुआ है। अतः योजना का क्रियान्वयन अभी प्रारंभिक चरण में है और जैसे-जैसे योजना आगे बढ़ेगी, इसका कार्यान्वियन भी विकसित होता जाएगा। हालांकि, योजना के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ सम्मेलन एवं कार्यशालाएँ आयोजित की गई हैं तथा मंत्रालय के सोशल मीडिया माध्यमों का भी उपयोग किया जा रहा है।

(iv) जियो पारसी:

जियो पारसी योजना के अंतर्गत, पिछले पाँच वर्षों के दौरान पारसी दंपतियों को निम्नलिखित प्रकार की सहायता प्रदान की गई है:

क्र. सं.	वर्ष	चिकित्सा घटक		सामुदायिक स्वास्थ्य घटक	
		लाभार्थियों की संख्या	जारी की गई राशि (करोड़ रुपये में)	लाभार्थियों की संख्या	जारी की गई राशि (करोड़ रुपये में)
1.	2020-21	86	1.62	181	1.38
2.	2021-22	79	1.94	175	2.06
3.	2022-23	60	1.54	94	2.47
4.	2023-24	10	0.11	92	2.53
5.	2024-25	10	0.39	86	2.38

पारसी समुदाय में जागरूकता और पहुँच बढ़ाने तथा उनकी घटती जनसंख्या की प्रवृत्ति को रोकने के उद्देश्य से योजना के संबंध में प्रचार-प्रसार किया जाता है। इसके अतिरिक्त, समुदाय के साथ विभिन्न कार्यशालाएँ/परस्पर संवाद आयोजित किए जाते हैं। जियो पारसी योजना के क्रियान्वयन से संबंधित जानकारी का प्रसार प्रमुख पारसी समाचार पत्रों के माध्यम से मासिक आधार पर भी किया जाता है।

(v) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (NMDFC):

मंत्रालय द्वारा निधियों का आवंटन NMDFC में इक्विटी अंशदान के रूप में किया जाता है। NMDFC मंत्रालय तथा संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा किए गए इक्विटी अंशदान और वसूली गई राशि का उपयोग चैनल भागीदारों के माध्यम से लाभार्थियों को ऋण प्रदान करने हेतु करता है।

NMDFC की वित्त पोषण प्रणाली के अनुसार, ऋण राशि का 90% NMDFC द्वारा, 5% संबंधित राज्य सरकार/चैनल भागीदार द्वारा, तथा शेष 5% लाभार्थी द्वारा मार्जिन मनी के रूप में वहन किया जाता है।

पिछले पाँच वर्षों के दौरान मंत्रालय द्वारा किए गए इक्विटी अंशदान और NMDFC द्वारा वितरित ऋण का विवरण निम्नानुसार है:

(राशि करोड़ रुपये में)

वर्ष	**मंत्रालय द्वारा इक्विटी अंशदान**	**एनएमडीएफसी द्वारा संवितरित ऋण**
2020-21	110.00	650.41
2021-22	100.00	700.00
2022-23	159.00	881.70
2023-24	61.00	765.45
2024-25	0.00	860.43

पिछले तीन वर्षों के दौरान जारी की गई तथा उपयोग की गई निधि सहित लाभार्थियों का वर्षवार एवं राज्यवार विवरण **अनुबंध-III** में संलग्न है।

निगरानी व्यवस्था के अंतर्गत, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (NMDFC) ने क्षेत्र स्तर पर अपनी योजनाओं के सख्त एवं प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने हेतु अनेक उपाय अपनाए हैं।

प्रमुख निगरानी एवं संबंधित तंत्र निम्नलिखित हैं:

1. **स्वतंत्र लाभार्थी सत्यापन एवं प्रभाव आकलन**
   NMDFC नियमित रूप से स्वतंत्र तृतीय-पक्ष संस्थाओं/एजेंसियों के माध्यम से लाभार्थी सत्यापन तथा प्रभाव आकलन अध्ययन कराता है। इन अध्ययनों के माध्यम से NMDFC की निधियों के उचित उपयोग और देशभर में लक्षित अल्पसंख्यक समुदायों पर योजनाओं के समग्र प्रभाव का आकलन किया जाता है।

2. **NMDFC अधिकारियों द्वारा क्षेत्रीय दौरे**
   NMDFC के अधिकारी समय-समय पर क्षेत्रीय दौरे करते हैं, लाभार्थियों से प्रत्यक्ष संवाद करते हैं तथा योजनाओं के जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन का आकलन करते हैं।

3. **ऋण राशि का प्रत्यक्ष अंतरण**
   ऋण राशि NEFT/RTGS के माध्यम से लाभार्थियों के बैंक खातों में सीधे अंतरित की जाती है, जिससे पारदर्शिता सुनिश्चित होती है, मध्यस्थों की भूमिका समाप्त होती है तथा किसी भी प्रकार की लीकेज की संभावना कम होती है।

4. **MILAN सॉफ्टवेयर**
   NMDFC ने MILAN नामक एक डिजिटल प्लेटफॉर्म विकसित किया है, जो आवेदकों, राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों (SCAs) और NMDFC के बीच ऋण प्रक्रिया और लेखांकन को सरल एवं स्वचालित बनाता है। यह डिजिटलीकरण पारदर्शिता, सटीकता तथा वास्तविक समय निगरानी को सुदृढ़ करता है।

5. **आवधिक समीक्षा बैठकें**
   NMDFC द्वारा चैनल भागीदारों और राज्य सरकारों के साथ क्षेत्रीय स्तर पर नियमित समीक्षा बैठकें आयोजित की जाती हैं, जिनमें योजनाओं के प्रदर्शन का मूल्यांकन, क्रियान्वयन से जुड़ी समस्याओं का समाधान तथा निगरानी व्यवस्था को मजबूत किया जाता है।

6. **मंत्रालय द्वारा समीक्षा**
   सचिव, अल्पसंख्यक कार्य द्वारा भी समय-समय पर NMDFC की योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा की जाती है, ताकि योजनाओं का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जा सके।

जागरूकता बढ़ाने हेतु उठाए गए कदम

ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्रों में लक्षित अल्पसंख्यक समुदायों तक योजनाओं से संबंधित जानकारी की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए NMDFC द्वारा विशेष आउटरीच कार्यक्रम अनिवार्य किए गए हैं:

- **ऋण मेले एवं शिविर:**
  - NMDFC द्वारा राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों (SCAs) को ऋण मेला-सह-जागरूकता शिविर आयोजित करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रत्येक SCA को अल्पसंख्यक बहुल जिलों एवं ब्लॉक में प्रतिवर्ष कम से कम ऐसे 10 शिविर आयोजित करने हेतु निधि उपलब्ध कराई जाती है।

- इन शिविरों में आवेदन प्रपत्र वितरित किए जाते हैं, प्रारंभिक जांच की जाती है तथा संभावित लाभार्थियों को प्रेरित करने हेतु सफलता की कहानियाँ साझा की जाती हैं।

- **प्रदर्शनियाँ:**
  - विपणन सहायता योजना के अंतर्गत, SCAs को राज्य एवं जिला स्तर पर प्रदर्शनियाँ आयोजित करने के लिए अनुदान दिया जाता है, जिससे अल्पसंख्यक शिल्पकारों और स्वयं सहायता समूहों (SHGs) द्वारा निर्मित उत्पादों की बिक्री को बढ़ावा मिल सके।

- **मीडिया एवं डिजिटल प्रचार:**
  - सोशल मीडिया: NMDFC अपनी योजनाओं के प्रचार-प्रसार हेतु X (ट्विटर), फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और लिंक्डइन जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का उपयोग करता है।

*****

अनुबंध-I

'देश में विभिन्न अल्पसंख्यक विकास योजनाओं की स्थिति' विषय पर श्री मनोज कुमार द्वारा पूछे गए तथा दिनांक 04.02.2026 को उत्तर दिए जाने हेतु लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 790 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति योजना - 2017-18 से 2021-22 तक छात्रवृत्तियों तथा स्वीकृत राशि का विवरण

		2017-18		2018-19		2019-20		2020-21		2021-22		कुल स्वीकृत	कुल राशि
क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	स्वीकृत छात्रवृत्ति	राशि (करोड़ रुपये में)	स्वीकृत छात्रवृत्ति	राशि (करोड़ रुपये में)	स्वीकृत छात्रवृत्ति	राशि (करोड़ रुपये में)	स्वीकृत छात्रवृत्ति	राशि (करोड़ रुपये में)	स्वीकृत छात्रवृत्ति	राशि (करोड़ रुपये में)	छात्रवृत्ति	(करोड़ रुपये में)
1	आंध्र प्रदेश	132983	32.46	129589	35.68	161555	47.6	152714	36.4	175563	37.85	752404	189.99
2	तेलंगाना	176726	56.26	169146	58.54	171908	60.28	156037	56.6	177571	61.29	851388	292.97
3	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
4	असम	225605	109.44	116564	60.91	290719	161.16	250267	90.97	235337	99.98	1118492	522.46
5	बिहार	122582	30.78	222209	97.45	245662	82.43	134270	32.97	175287	49.19	900010	292.82
6	छत्तीसगढ़	7958	2.13	5595	1.73	4839	1.64	4308	1.35	4453	1.34	27153	8.19
7	गोवा	1460	0.2	349	0.04	497	0.06	772	0.08	1111	0.11	4189	0.49
8	गुजरात	134673	34.58	128432	35.48	134907	37.48	102873	28.6	89543	25.7	590428	161.84
9	हरियाणा	4685	1.82	6259	2.5	8860	3.25	9396	3.58	25011	8.53	54211	19.68
10	हिमाचल प्रदेश	1667	0.3	1541	0.28	2056	0.4	1985	0.34	1790	0.3	9039	1.62
11	जम्मू एवं कश्मीर	157548	34.55	155312	44.13	523653	129.16	466290	96.24	389132	77.67	1691935	381.75
12	झारखंड	51895	29.43	50466	34.61	84133	60.9	14332	5.17	14146	5.7	214972	135.81
13	कर्नाटक	332989	62.75	433314	84.27	507463	100.42	517527	99.74	566291	110.67	2357584	457.85
14	केरल	557278	66.87	573776	70.99	593531	74.8	599692	74.4	634299	78.32	2958576	365.38

15	लद्दाख	0	0	0	0	0	0	14862	3.93	11884	3.08	26746	7.01
16	मध्य प्रदेश	99064	26.72	108841	31.84	137269	41.54	113780	37.93	139638	47.53	598592	185.56
17	महाराष्ट्र	619888	68.1	688310	77.11	744273	86.66	734816	81.65	802121	88.89	3589408	402.41
18	मणिपुर	6153	3.75	14882	9.47	44390	25.76	47526	26.29	52432	28.17	165383	93.44
19	मेघालय	5544	1.38	5392	1.69	9865	2.51	14630	3.97	15462	4.42	50893	13.97
20	मिजोरम	34436	8.24	42696	11.03	52652	15.09	53129	15.07	60784	18.54	243697	67.97
21	नागालैंड	24840	8.74	28156	10.87	53156	18.9	69053	24.01	77882	28.03	253087	90.55
22	ओडिशा	9922	1.9	10611	1.98	12934	2.53	17470	2.92	25620	4.19	76557	13.52
23	पंजाब	432616	68.67	409392	68.64	468622	76.14	447136	70.44	503179	75.57	2260945	359.46
24	राजस्थान	146089	40.95	135980	43.36	165049	53.66	146296	46.59	188827	55.58	782241	240.14
25	सिक्किम	757	0.23	392	0.13	716	0.15	102	0.03	513	0.1	2480	0.64
26	तमिलनाडु	353184	69.28	325580	66.94	376543	78.23	381455	76.96	448485	86.55	1885247	377.96
27	त्रिपुरा	5374	1.1	3283	0.81	3525	0.52	5723	0.87	7109	1.02	25014	4.32
28	उत्तर प्रदेश	577622	176.73	691804	243.51	727980	247.14	747354	265.24	842938	317.32	3587698	1249.94
29	उत्तराखंड	21012	6.58	21275	8.37	30197	14	18621	7.4	21812	10.48	112917	46.83
30	पश्चिम बंगाल	1054783	132.56	1206629	160.8	884	0.36	273	0.2	576	0.14	2263145	294.06
31	अंडमान और निकोबार	288	0.17	56	0.01	107	0.04	2796	0.37	3272	0.4	6519	0.99
32	चंडीगढ़	2307	0.24	1342	0.14	1461	0.15	1913	0.2	1783	0.18	8806	0.91
33	दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव	55	0.01	134	0.02	468	0.07	275	0.03	318	0.04	1250	0.17
34	दिल्ली	7345	0.93	2216	0.3	4928	0.65	8328	0.88	12302	1.25	35119	4.01
35	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00

36	पुदुचेरी	1929	0.57	2331	0.66	3223	0.87	3963	1	4318	1.04	15764	4.14
कुल		**5311257**	**1078.4**	**5691854**	**1264.3**	**5568025**	**1424.56**	**5239964**	**1192.43**	**5,710,789**	**1329.20**	**27521889**	**6288.90**

मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना - 2017-18 से 2021-22 तक छात्रवृत्तियों तथा स्वीकृत राशि का विवरण													
क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2017-18		2018-19		2019-20		2020-21		2021-22		कुल	कुल राशि
		स्वीकृत छात्रवृत्ति	राशि (करोड़ रुपये में)	स्वीकृत छात्रवृत्ति	राशि (करोड़ रुपये में)	स्वीकृत छात्रवृत्ति	राशि (करोड़ रुपये में)	स्वीकृत छात्रवृत्ति	राशि (करोड़ रुपये में)	स्वीकृत छात्रवृत्ति	राशि (करोड़ रुपये में)	स्वीकृत छात्रवृत्ति	(करोड़ रुपये में)
1	आंध्र प्रदेश	14161	11.08	13292	11.41	15408	12.95	12661	9.69	15216	11.32	70738	56.45
2	तेलंगाना	16275	11.2	15597	12.11	17393	13.90	18372	14.63	20843	16.8	88480	68.64
3	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
4	असम	33071	23.25	27856	19.67	38531	32.94	30456	24.78	49106	51.34	179020	151.98
5	बिहार	50511	33.55	49333	32.4	48456	30.53	43512	18.12	19642	9.55	211454	124.15
6	छत्तीसगढ़	2189	1.2	2114	1.3	2202	1.38	2198	1.27	2744	1.54	11447	6.69
7	गोवा	291	0.2	140	0.1	218	0.15	349	0.21	458	0.27	1456	0.93
8	गुजरात	20454	12.1	20652	12.1	23445	13.43	21289	11.6	23519	12.82	109359	62.05
9	हरियाणा	5247	3.66	3792	2.71	4703	3.22	5194	3.31	7824	4.58	26760	17.48
10	हिमाचल प्रदेश	570	0.33	430	0.21	534	0.26	500	0.24	637	0.29	2671	1.33
11	जम्मू एवं कश्मीर	26695	16.82	28536	20.24	111052	72.51	53725	30.38	47574	27.47	267582	167.42
12	झारखंड	15025	9.96	12616	8.61	13182	8.72	5918	2.99	5494	3.41	52235	33.69

13	कर्नाटक	43917	27.47	48924	32.87	74944	49.90	55081	34.24	73830	43.98	296696	188.46
14	केरल	63084	30.38	65875	30.36	65635	32.68	67583	31.8	74271	37.55	336448	162.77
15	लद्दाख	0	0	0	0	0	0.00	1593	0.91	905	0.5	2498	1.41
16	मध्य प्रदेश	18319	11.13	18536	12.02	22038	14.47	20430	13.6	23622	16.13	102945	67.35
17	महाराष्ट्र	47697	23.84	48332	23.62	48331	24.23	47333	23.02	42110	20.97	233803	115.68
18	मणिपुर	3846	2.9	3860	3.13	5599	4.86	4497	3.82	4629	3.93	22431	18.64
19	मेघालय	6129	3.96	6563	4.41	7533	5.06	7254	4.88	5306	3.63	32785	21.94
20	मिजोरम	1367	1	1300	1.04	1309	1.17	1144	0.85	1702	1.34	6822	5.40
21	नागालैंड	6301	4.16	4360	3.58	5332	4.58	6029	4.88	6421	5.45	28443	22.65
22	ओडिशा	3260	2.41	2134	1.63	2738	1.98	3146	1.91	4030	2.4	15308	10.33
23	पंजाब	61883	27.2	55829	27.46	56646	30.18	53450	27.66	55430	29.96	283238	142.46
24	राजस्थान	23982	15.78	24437	18.27	27933	20.73	27404	19.39	30012	21.26	133768	95.43
25	सिक्किम	101	0.06	104	0.05	52	0.03	85	0.04	289	0.15	631	0.33
26	तमिलनाडु	39193	21.79	36628	21.72	43241	25.93	44319	24.79	52409	29.18	215790	123.41
27	त्रिपुरा	1054	0.68	1164	0.89	1067	0.73	1004	0.63	1766	1.21	6055	4.14
28	उत्तर प्रदेश	94518	62.21	86303	62.22	94291	68.20	4646	3.37	5296	3.85	285054	199.85
29	उत्तराखंड	4102	3.12	2830	2.3	4521	3.43	114388	81.22	134433	100.24	260274	190.31
30	पश्चिम बंगाल	89303	50.08	99957	55.4	3730	3.15	5184	5.49	6548	7.09	204722	121.21
31	अंडमान और निकोबार	53	0.04	18	0.01	9	0.01	278	0.1	295	0.1	653	0.26
32	चंडीगढ़	174	0.08	115	0.05	154	0.06	123	0.05	117	0.05	683	0.29
33	दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव	56	0.01	59	0.05	81	0.03	57	0.02	78	0.03	331	0.14

34	दिल्ली	4854	1.96	2063	0.9	2261	0.89	3518	1.08	2908	0.86	15604	5.69
35	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0.00
36	पुदुचेरी	387	0.23	516	0.31	572	0.36	596	0.33	629	0.33	2700	1.56
कुल		**698069**	**413.84**	**684265**	**423.18**	**743141**	**482.65**	**663316**	**401.31**	**720093**	**469.57**	**3508884**	**2190.55**

मेरिट-सह-साधन आधारित छात्रवृत्ति योजना - 2017-18 से 2021-22 तक छात्रवृत्तियों तथा स्वीकृत राशि का विवरण													
क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2017-18		2018-19		2019-20		2020-21		2021-22		कुल स्वीकृत छात्रवृत्ति	कुल राशि (करोड़ रुपये में)
		स्वीकृत छात्रवृत्ति	राशि (करोड़ रुपये में)	स्वीकृत छात्रवृत्ति	राशि (करोड़ रुपये में)	स्वीकृत छात्रवृत्ति	राशि (करोड़ रुपये में)	स्वीकृत छात्रवृत्ति	राशि (करोड़ रुपये में)	स्वीकृत छात्रवृत्ति	राशि (करोड़ रुपये में)		
1	अंडमान और निकोबार	14	0.04	2	0.01	3	0.01	4	0.01	3	0.01	26	0.08
2	आंध्र प्रदेश	2618	7.26	2599	6.91	3476	9.17	1808	4.43	2118	5.54	12619	33.31
3	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0.00
4	असम	5178	14.43	4437	12.05	6158	17.25	7216	19.08	9287	26.93	32276	89.74
5	बिहार	11094	31.92	11144	31.13	6985	18.74	7933	20.85	6733	17.66	43889	120.30
6	चंडीगढ़	11	0.07	8	0.02	2	0.00	6	0.02	7	0.02	34	0.13
7	छत्तीसगढ़	499	1.31	421	1.14	432	1.09	441	1.28	516	1.42	2309	6.24

8	दिल्ली	487	1.18	459	1.16	384	0.97	376	1.04	295	0.77	2001	5.12
9	गोवा	119	0.32	76	0.2	76	0.20	116	0.29	50	0.13	437	1.14
10	गुजरात	4058	9.99	3437	8.25	3037	7.17	2722	6.47	2731	6.54	15985	38.42
11	हरियाणा	1123	3.07	821	2.27	821	2.12	772	2.04	1029	2.71	4566	12.21
12	हिमाचल प्रदेश	69	0.19	48	0.13	30	0.09	32	0.09	51	0.13	230	0.63
13	जम्मू एवं कश्मीर	6191	17.25	5794	15.53	7702	19.91	8898	22.14	9392	23.83	37977	98.66
14	झारखंड	2439	7.25	1264	3.7	1501	4.40	232	0.59	685	1.94	6121	17.88
15	कर्नाटक	9970	25.64	15979	40.91	20779	52.96	22510	56.59	22161	55.79	91399	231.89
16	केरल	19240	53.75	22038	60.48	26205	71.42	29630	80.81	32790	89.8	129903	356.26
17	लद्दाख					0		130	0.3	81	0.22	211	0.52
18	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0.00
19	मध्य प्रदेश	3444	9.92	2154	6.64	2448	7.28	2216	6.53	2530	7.3	12792	37.67
20	महाराष्ट्र	6487	18.25	4336	12.45	2814	8.50	2187	7.14	2335	7.74	18159	54.08
21	मणिपुर	301	0.78	364	0.95	348	1.01	282	0.81	338	0.94	1633	4.49
22	मेघालय	1214	3.22	1182	2.98	1322	3.32	1165	2.63	601	1.51	5484	13.66
23	मिजोरम	403	1.11	543	1.58	1115	3.24	46	0.11	107	0.23	2214	6.27
24	नागालैंड	1231	3.19	1186	3.17	1193	3.09	1193	3.01	1258	3.13	6061	15.59
25	ओडिशा	784	2.31	537	1.62	436	1.33	392	1.08	466	1.29	2615	7.63
26	पुदुचेरी	61	0.12	57	0.12	62	0.14	44	0.09	48	0.12	272	0.59
27	पंजाब	5343	14.58	3273	8.84	2410	6.53	1829	5.06	1716	4.76	14571	39.77
28	राजस्थान	3842	10.52	3555	10.04	3241	8.63	3173	8.52	2907	7.97	16718	45.68

29	सिक्किम	13	0.04	21	0.05	18	0.04	34	0.05	51	0.08	137	0.26
30	तमिलनाडु	6108	15.71	5475	14.29	5685	14.85	5295	13.48	6856	17.55	29419	75.88
31	तेलंगाना	2913	8.1	2854	8	3311	8.88	4065	10.8	4757	12.82	17900	48.60
32	दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव	10	0.02	1	0.00	5	0.01	7	0.07	8	0.06	31	0.16
33	त्रिपुरा	168	0.45	125	0.34	81	0.20	111	0.28	94	0.24	579	1.51
34	उत्तर प्रदेश	11038	29.49	9901	26.19	10545	27.05	496	1.44	12387	32.1	44367	116.27
35	उत्तराखंड	576	1.67	526	1.4	470	1.26	10154	26.19	658	1.69	12384	32.21
36	पश्चिम बंगाल	12426	31.72	13154	33.39	5264	14.77	4856	14.54	6764	19.9	42464	114.32
कुल		**119472**	**324.86**	**117771**	**315.93**	**118359**	**315.62**	**120371**	**317.84**	**131810**	**352.91**	**607783**	**1627.16**

एमएएनएफ योजना - 2017-18 से 2021-22 तक लाभार्थियों की संख्या और वितरित राशि

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2017-18		2018-19		2019-20		2020-21		2021-22		कुल लाभार्थी	कुल राशि (करोड़ रुपये में)
		लाभार्थियों की संख्या	राशि (करोड़ रुपये में)	लाभार्थियों की संख्या	राशि (करोड़ रुपये में)	लाभार्थियों की संख्या	राशि (करोड़ रुपये में)	लाभार्थियों की संख्या	राशि (करोड़ रुपये में)	लाभार्थियों की संख्या	राशि (करोड़ रुपये में)		
1	अंडमान एवं निकोबार द्वीप	3	0.06	4	0.17	4	0.18	3	0.13	3	0.10	17	0.64

	समूह												
2	आंध्र प्रदेश	153	5.74	129	4.85	101	4.31	66	2.41	48	1.26	497	18.57
3	अरुणाचल प्रदेश	9	0.33	8	0.32	11	0.39	7	0.21	7	0.30	42	1.55
4	असम	127	3.83	95	3.42	93	3.90	80	2.94	63	2.29	458	16.38
5	बिहार	128	4.03	107	3.94	138	6.01	109	5.09	99	4.26	581	23.34
6	चंडीगढ़	15	0.41	13	0.46	10	0.35	8	0.29	6	0.20	52	1.70
7	छत्तीसगढ़	13	0.36	11	0.34	7	0.31	3	0.12	4	0.22	38	1.35
8	दादरा एवं नगर हवेली		0.00	1	0.06	1	0.00		0.00		0.00	2	0.06
9	दिल्ली	167	5.29	150	6.01	128	6.43	138	5.40	108	4.19	691	27.32
10	गोवा	16	0.43	11	0.52	11	0.42	6	0.19	1	0.01	45	1.57
11	गुजरात	73	2.46	58	1.82	40	1.54	18	0.66	14	0.53	203	7.00
12	हरियाणा	48	1.41	40	1.14	34	1.32	29	1.16	22	0.81	173	5.85
13	हिमाचल प्रदेश	11	0.39	12	0.45	14	0.39	9	0.34	11	0.38	57	1.96
14	जम्मू और कश्मीर	180	6.19	137	4.26	226	10.43	361	17.27	368	14.35	1,272	52.49
15	झारखंड	69	2.18	62	2.36	61	2.49	45	1.86	36	1.50	273	10.38
16	कर्नाटक	152	4.76	120	4.10	96	3.79	62	2.25	36	1.38	466	16.28
17	केरल	178	5.37	156	5.25	187	7.87	194	7.51	181	6.79	896	32.78
18	लद्दाख		0.00		0.00		0.00		0.00	1	0.03	1	0.03
19	लक्षद्वीप	3	0.11	3	0.13	1	0.06	1	0.05	2	0.08	10	0.43
20	मध्य प्रदेश	78	2.40	68	2.41	62	2.63	49	1.90	42	1.41	299	10.75
21	महाराष्ट्र	217	7.09	187	6.61	166	7.41	129	5.02	101	4.04	800	30.16

22	मणिपुर	18	0.56	13	0.41	16	0.50	13	0.57	15	0.57	75	2.60
23	मेघालय	10	0.33	12	0.42	14	0.72	17	0.80	14	0.50	67	2.77
24	मिजोरम	8	0.18	6	0.19	6	0.26	7	0.28	5	0.22	32	1.13
25	नागालैंड	9	0.24	8	0.31	10	0.46	9	0.39	8	0.31	44	1.72
26	ओडिशा	30	0.90	24	0.96	25	0.98	15	0.58	16	0.52	110	3.93
27	पुदुचेरी	18	0.56	17	0.70	15	0.57	10	0.27	4	0.13	64	2.23
28	पंजाब	246	7.24	206	6.61	196	7.58	175	6.99	158	5.18	981	33.60
29	राजस्थान	86	2.58	70	2.37	61	2.51	47	1.73	39	1.38	303	10.58
30	सिक्किम	17	0.63	16	0.58	15	0.43	11	0.35	5	0.17	64	2.16
31	तमिलनाडु	145	4.41	113	3.44	83	3.41	47	1.83	28	1.00	416	14.09
32	तेलंगाना	40	1.37	41	1.49	49	2.38	41	1.50	29	1.10	200	7.85
33	त्रिपुरा	2	0.02	2	0.10	3	0.09	3	0.14	3	0.12	13	0.47
34	उत्तर प्रदेश	504	16.08	400	15.42	431	17.82	388	16.35	371	14.62	2,094	80.29
35	उत्तराखंड	9	0.33	6	0.17	10	0.53	15	0.66	19	0.76	59	2.46
36	पश्चिम बंगाल	299	9.10	230	8.68	258	11.86	234	10.03	199	7.38	1,220	47.05
	कुल योग	**3081**	**97.35**	**2536**	**90.48**	**2,583**	**110.33**	**2,349**	**97.28**	**2,066**	**78.08**	**12,615**	**473.51**

पढ़ो परदेश योजना- 2017-18 से 2021-22 के दौरान दी गई ब्याज सब्सिडी और जारी की गई धनराशि का राज्यवार ब्यौरा													
क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2017-18		2018-19		2019-20		2020-21		2021-22		कुल लाभार्थी	कुल राशि (लाख रुपये में)
		लाभार्थियों की संख्या जिन्हें ब्याज सब्सिडी दी गई	जारी की गई निधि (लाख रुपये में)	लाभार्थियों की संख्या जिन्हें ब्याज सब्सिडी दी गई	जारी की गई निधि (लाख रुपये में)	लाभार्थियों की संख्या जिन्हें ब्याज सब्सिडी दी गई	जारी की गई निधि (लाख रुपये में)	लाभार्थियों की संख्या जिन्हें ब्याज सब्सिडी दी गई	जारी की गई निधि (लाख रुपये में)	लाभार्थियों की संख्या जिन्हें ब्याज सब्सिडी दी गई	जारी की गई निधि (लाख रुपये में)		
1	अंडमान और निकोबार	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2	आंध्र प्रदेश	74	74.85	75	46.35	72	58.30	91	60.06	81	50.97	393	290.52
3	असम	7	7.76	7	5.55	5	4.15	6	3.20	1	0.28	26	20.93
4	बिहार	2	4.34	8	6.45	12	7.86	11	3.78	8	2.40	41	24.83
5	चंडीगढ़	4	1.47	5	3.00	4	3.85	3	1.38	2	0.25	18	9.94
6	छत्तीसगढ़	11	12.35	11	9.20	6	3.23	3	1.91	1	1.21	32	27.90
7	दादरा और नगर हवेली	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
8	दमन और दीव	0	0.00	1	0.18	2	0.32	0	0.00	0	0.00	3	0.49
9	दिल्ली	7	3.21	12	8.48	20	8.20	19	8.23	13	5.64	71	33.77
10	गोवा	8	5.05	14	8.93	15	14.05	13	9.76	4	3.41	54	41.20
11	गुजरात	91	74.97	120	80.00	129	92.99	103	67.37	82	45.08	525	360.41
12	हरियाणा	13	6.96	17	7.74	15	7.81	14	5.04	12	5.63	71	33.18
13	हिमाचल प्रदेश	2	2.34	2	1.91	3	0.94	1	1.05	0	0.00	8	6.24
14	जम्मू और कश्मीर	28	17.11	72	21.68	80	47.10	132	60.27	202	65.07	514	211.23

15	झारखंड	0	0.00	3	1.11	8	3.61	8	2.46	6	2.29	25	9.47
16	कर्नाटक	129	101.39	211	133.41	289	188.73	275	195.12	229	130.33	1133	748.97
17	केरल	715	618.03	1138	692.63	1734	1132.28	2236	1360.29	3359	1710.84	9182	5514.07
18	मध्य प्रदेश	74	76.46	101	79.99	106	74.83	82	50.39	51	30.17	414	311.85
19	महाराष्ट्र	250	261.24	297	233.30	322	244.98	300	225.79	265	194.36	1434	1159.66
20	मणिपुर	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
21	मेघालय	1	0.29	2	1.87	1	0.88	0	0.00	0	0.00	4	3.05
22	मिजोरम	0	0.00	2	0.49	1	1.00	0	0.00	0	0.00	3	1.50
23	ओडिशा	2	1.25	5	2.28	7	2.53	4	4.42	5	3.20	23	13.69
24	पुदुचेरी	1	1.51	5	3.10	11	8.78	12	9.60	9	6.39	38	29.38
25	पंजाब	58	43.54	81	36.11	82	36.06	59	22.21	74	21.11	354	159.03
26	राजस्थान	25	26.79	37	26.84	32	20.28	27	15.06	24	12.90	145	101.86
27	तमिलनाडु	108	98.31	147	94.54	155	111.98	133	79.81	108	58.70	651	443.34
28	तेलंगाना	57	49.80	79	43.01	72	41.32	63	40.11	53	27.97	324	202.21
29	उत्तर प्रदेश	33	24.62	31	16.46	36	15.42	30	15.00	15	8.13	145	79.63
30	उत्तराखंड	5	3.56	5	2.23	4	1.86	12	4.32	7	4.59	33	16.56
31	पश्चिम बंगाल	6	5.30	7	5.53	15	7.04	19	8.38	11	7.95	58	34.20
कुल		**1711**	**1522.5**	**2495**	**1572.371**	**3238**	**2140.3592**	**3656**	**2255.01**	**4622**	**2398.881**	**15722**	**9889.13**

अनुबंध-II

'देश में विभिन्न अल्पसंख्यक विकास योजनाओं की स्थिति' विषय पर श्री मनोज कुमार द्वारा पूछे गए तथा दिनांक 04.02.2026 को उत्तर दिए जाने हेतु लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 790 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

पीएमजेवीके के तहत पिछले पांच वर्षों और चालू वर्ष के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी की गई धनराशि का वर्षवार विवरण

क्र. सं.	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र के नाम	2020-21 (लाख रुपये में)	2021-22 (लाख रुपये में)	2022-23 (लाख रुपये में)	2023-24 (लाख रुपये में)	2024-25 (लाख रुपये में)	2025-26 (लाख रुपये में)	2025-26 में एसएनए स्पर्श के अनुसार जारी की गई मूल स्वीकृतियां (लाख रुपये में)
1.	असम	7148.95	15999.31	_	_	12900.00	15000.00	5900.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	1804.58	2137.58	_	_	7300.00	_	500.00
3.	आंध्र प्रदेश	5676.74	689.91	_	_	_	_	500.00
4.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	4.8	49.49	_	875.00	_	_	_
5.	बिहार	384.905	621.89	_	_	_	_	500.00
6.	छत्तीसगढ़	228.57	100.8	_	_	_	_	500.00
7.	दिल्ली	_	_	_	_	_	_	50.00
8.	गुजरात	1329.77	_	_	_	_	_	250.00
9.	हिमाचल प्रदेश	_	_	_	_	500.00	_	5000.00
10.	हरियाणा	_	1378.5	_	_	_	_	500.00
11.	जम्मू और कश्मीर	_	_	_	_	_	_	500.00
12.	झारखंड	188.82	2613.7	_	_	_	_	500.00
13.	कर्नाटक	4117.02	3514.32	_	2333.75	10200.00	_	3000.00
14.	केरल	_	4269.08	_	_	_	_	500.00

15.	लद्दाख	_	_	_	306.00	1292.00	_	_
16.	मणिपुर	8956.45	18605.57	_	1875.00	5000.00	6000.00	500.00
17.	मेघालय	_	7725.15	_	_	_	_	3200.00
18.	मिजोरम	2881.18	5841.39	_	1000.00	6319.00	10500.00	500.00
19.	मध्य प्रदेश	10749.91	154.8	_	_	_	_	500.00
20.	महाराष्ट्र	5926.54	3954.72	_	_	2000.00	6000.00	500.00
21.	नागालैंड	9077.63	1442.02	_	_	5600.00	11000.00	3500.00
22.	ओडिशा	500.00	2165.00	_	_	_	_	500.00
23.	पंजाब	_	_	10457.7	_	_	_	500.00
24.	राजस्थान	4180.084	2461.31	_	_	2350.00	_	500.00
25.	सिक्किम	1042.39	19541.61	_	2625.00	12373.00	15000.00	2174.00
26.	तेलंगाना	_	2079.07	_	_	_	_	500.00
27.	त्रिपुरा	506.69	649.29	_	_	1750.00	_	250.00
28.	तमिलनाडु	856.43	18118.77	_	_	7013.00	12576.00	500.00
29.	उत्तर प्रदेश	9832.401	737.67	_	3500.00	_	25000.00	500.00
30.	उत्तराखंड	2966.82	1575.68	_	1896.00	9900.00	_	500.00
31.	पश्चिम बंगाल	20737.26	3852.8	_	_	_	_	10500.00

अनुबंध-III

'देश में विभिन्न अल्पसंख्यक विकास योजनाओं की स्थिति' विषय पर श्री मनोज कुमार द्वारा पूछे गए तथा दिनांक 04.02.2026 को उत्तर दिए जाने हेतु लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 790 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

पिछले पांच वर्षों के लिए जारी और उपयोग की गई धनराशि के साथ-साथ लाभार्थियों का वर्ष-वार और राज्य-वार विवरण इस प्रकार है:-

राशि करोड़ में

वर्ष	2020-2021		2021-2022		2022-2023		2023-2024		2024-2025		2025-2026	
राज्य और संघ राज्य क्षेत्र	जारी और उपयोग की गई धनराशि	लाभार्थी	जारी और उपयोग की गई धनराशि	लाभार्थी	जारी और उपयोग की गई धनराशि	लाभार्थी	जारी और उपयोग की गई धनराशि	लाभार्थी	जारी और उपयोग की गई धनराशि	लाभार्थी	जारी और उपयोग की गई धनराशि	लाभार्थी
अंडमान और निकोबार	-	0	0.01	1	0.00	1	0.02	1	-	0	-	0
आंध्र प्रदेश	-	0	3.04	479	5.10	2525	1.54	187	1.88	172	1.19	60
अरुणाचल प्रदेश	-	0	0.52	23	-	0	-	0	1.90	127	0.08	1
असम	-	0	2.20	900	0.59	59	-	0	0.08	7	0.45	9
बिहार	-	0	1.23	161	0.04	4	0.14	12	0.10	6	0.04	2
केनरा बैंक	-	0	15.00	1000	25.00	1666	10.00	667	10.00	667	-	0
चंडीगढ़	0.05	3	0.05	3	0.10	7	0.10	7	-	0	0.03	2
छत्तीसगढ़	-	0	-	0	-	0	-	0	0.03	2	0.05	2
दिल्ली	0.20	13	-	0	0.25	17	-	0	-	0	-	0
गोवा	0.20	14	0.30	20	1.04	70	0.08	3	0.22	14	0.14	9
गुजरात	5.64	376	3.00	200	1.21	78	0.08	7	0.11	6	0.37	9
हरियाणा	2.87	456	2.80	184	8.80	633	2.66	185	5.71	360	3.90	258
हिमाचल प्रदेश	6.95	463	11.00	733	15.00	1000	12.84	856	8.46	564	7.76	517
जम्मू और कश्मीर	24.79	1885	35.00	2667	62.78	5019	28.30	1911	29.26	1957	11.75	783

झारखंड	0.15	10	-	0	1.60	119	1.80	120	-	0	0.14	8
कर्नाटक	-	0	0.37	32	1.85	272	1.59	152	1.74	224	0.60	19
केरल	240.50	45033	261.34	55089	333.32	78279	318.77	74088	323.67	76662	252.01	53831
लद्दाख	-	0	0.02	1	-	0	-	0	1.00	67	4.18	279
लक्षद्वीप	-	0	0.24	39	0.03	2	-	0	-	0	-	0
मध्य प्रदेश	-	0	0.19	8	0.00	1	-	0	0.02	1	0.05	3
महाराष्ट्र	-	0	-	0	12.03	1137	19.00	1267	45.12	3014	15.52	1016
मणिपुर	-	0	0.44	113	0.03	8	-	0	-	0	-	0
मेघालय	-	0	1.60	166	0.03	4	-	0	0.01	1	0.55	32
मिजोरम	2.76	184	2.50	167	3.05	207	2.12	141	1.70	113	2.50	166
नागालैंड	-	0	-	0	0.03	5	-	0	-	0	-	0
ओडिशा	-	0	0.87	241	0.02	2	-	0	0.04	10	0.02	1
पुडुचेरी	-	0	-	0	-	0	0.02	1	-	0	-	0
पंजाब	-	0	1.68	57	0.85	60	1.14	77	9.44	629	7.36	424
पंजाब ग्रामीण बैंक	-	0	-	0	-	0	-	0	2.00	134	4.19	304
राजस्थान	5.00	333	5.03	334	5.16	350	1.05	70	4.45	295	0.13	4
सिक्किम	0.20	13	0.80	53	-	0	-	0	0.20	13	-	0
तमिलनाडु	25.00	3333	68.13	20168	56.77	13855	57.04	16554	77.02	19443	68.53	15782
तेलंगाना	-	0	1.55	169	6.08	669	0.22	35	0.04	8	0.59	15
त्रिपुरा	10.00	667	3.00	200	0.01	1	-	0	0.03	3	0.60	40
उत्तर प्रदेश	21.00	2400	0.90	37	1.30	133	1.35	75	1.36	94	0.45	13
उत्तराखंड	0.10	7	0.08	6	0.16	26	0.35	19	0.02	3	0.12	4
पश्चिम बंगाल	305.00	93666	292.10	78043	364.47	101237	315.25	89097	344.83	96350	390.01	118081

******